



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 05.11.2023

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अदद बन्दूक व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराव आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 05.11.2023 को मु०अ०सं०- 264/23 धारा- 147/323/504/506/342 भादवि व 3(1)घ, 3(2)वां से/सि नेट थाना शमसाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त पिन्टू उर्फ सुमित पुत्र बृजपाल सिंह निवासी सुल्तानपुर थाना शमसाबाद को अभियुक्त के घर के सामने ग्राम सुल्तानपुर थाना शमसाबाद से 01 बन्दूक व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया । जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं०- 265/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।



पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान पिन्टू उर्फ सुमित पुत्र बृजपाल सिंह ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए बयान कर रहे हैं कि साहब हमारे गांव के विवेक कुमार पुत्र रामदास से मेरा पैसे को लेन देन था दिनांक 04.11.2023 की शाम को विवेक कुमार अपनी पत्नी के साथ आ रहा था तो वह मुझसे रास्ते में पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी करने लगा बात ज्यादा बढ़ गई तो मैंने अपने भाई अमित कुमार को बुलाकर विवेक कुमार को बंधक बनाकर सड़क पर बिजली के खम्भे से बाध दिया था और उसकी पत्नी वहाँ से पुलिस को शिकायत करने चली गई थी और मैंने विवेक को फंसाने के उद्देश्य से अपने घर से बन्दूक व कारतूस लाकर विवेक के पास रख दिये थे पुलिस को आता सुन मैं वहाँ से भाग गया था वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी जिन्होंने मुझे बन्दूक कारतूस रखते हुए देख लिया था इसलिए मैं अपने आप को पुलिस से बचा रहा था परन्तु पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। बन्दूक व कारतूस मैं लोगो को डराने व धमकाने हेतु अपने पास रखता था साहब गलती हो गयी जो सही बात थी वह तो मैंने आपको बता दी है। यही मेरा बयान है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. पिन्टू उर्फ सुमित पुत्र बृजपाल सिंह निवासी सुल्तानपुर थाना शमसाबाद।

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 बन्दूक मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

अभियुक्त पिन्टू का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 264/23 धारा 147/323/504/506/342 भादवि0 व 3(1)ध, 3(2)va sc/st act थाना शमसाबाद।
2. मु0अ0सं0 265/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी
2. उ0नि0 अमित कुमार
3. का0 करतार सिंह
4. का0 नवीन कुमार
5. का0 धर्मेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।







